mx18/W·No-863

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SÉCTION 3, SUB-SECTION (ii)]

And all

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income-tax)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the P December, 2014

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes), dated the 26th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide S.O. 1615 (E), dated the 26th September, 2006, namely:

In the Schedule to the said notification, in column (4), -

- (i) for the bracket and words "(other than the districts of Ramanagar", the bracket and words "(other than the districts of" shall be substituted;
- (ii) for the bracket and words "(other than the districts of Kolar, Chikkaballapur, Ramanagar", the bracket and words "(other than the districts of Kolar, Chikkaballapur," shall be substituted.

[Notification No. \$3/2014. F. No. 187/19/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA

Director to the Government of India

To

The Manager

Government of India Press

Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(आयकर)
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर, 2014

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 26 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना, जिसे का.आ.1615(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कॉलम (4) में-

- (i) शब्द और कोष्ठक "(रामनगर जिले से भिन्न" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(जिलों से भिन्न" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) कोष्ठक और शब्द "(कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(कोलार, चिक्काबल्लापुर जिलों से भिन्न" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[अधिसूचना संख्या 3.... | 2014 फा.सं. 187/19/2014-आयकर नि-।]

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।